कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड, कसया

CIN-U31200UP2003SGC027461

E-Mail- xen.kasya@gmail.com

पत्रांक : /वि0वि0ख0(कु0) /C-1/Distt.Forum दिनांकः– 05.2026

विषयः संविदा कर्मचारी श्री रमेश प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद द्वारा मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल स्पेशल अपील सं0 566/2026 के सम्बन्ध में।

अति महत्वपूर्ण मा0 उच्च न्यायालय सम्बन्धित

मेसर्स ग्लोबटेक क्रियेशन प्रा0लि0
वार्ड नं0 –6, गोपाल नगर, महराजगंज
उत्तर प्रदेश–273163
Email :- globetechcreationspvtltd@gmail.com

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके फर्म के द्वारा इस खण्ड में पूर्व में तैनात संविदा कर्मी श्री रमेश प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद द्वारा मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पेशल अपील सं0 566/2026 दाखिल जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया है कि आप की फर्म द्वारा बिना कोई पूर्व नोटिस दिये गये उनको हटा दिया गया तथा 03 माह का बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया हैं। तत्कालीन संविदा कर्मचारी श्री रमेश प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद के द्वारा दिनांक 18.05.2026 को मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस कार्यालय को आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः सेवा में रखने हेतु अनुरोध किया गया हैं। आपको यह पत्र इस आशय से प्रेषित है कि चूंकि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति एवं वेतन वितरण आपकी फर्म द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित से आपकी फर्म द्वारा किये गये अनुबन्ध एवं नियुक्ति पत्र की हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित भी करें। साथ ही यदि आपके द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को नोटिस दिया गया है तो नोटिस की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा नोटिस नहीं निर्गत किया गया है तो विना नोटिस एवं विना 03 माह के वेतन दिये उक्त कर्मचारी को हटाया गया है तो आपके द्वारा संविदा अनुबन्ध में वर्णित नियमों एवं शर्तों का उलघन किया गया हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अपनी आख्या 02 दिनों के अन्दर अधोहस्तक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उक्त वाद के सम्बन्ध में अवगत कराया जा सकें, अन्यथा की स्थिति में यदि किसी भी प्रकार की मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा विभागी के विपरित निर्णय होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व आपके फर्म की होगी।

संलगनक : यथोपरि।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक :1636 /वि0वि0ख0(कु0) /C-1/Distt.Forum / तददिनांकः– 21-.05.2026

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(वि0) गोरखपुर क्षेत्र–द्वितीय, गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, कुशीनगर।
3. उप–विधि अधिकारी, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
4. श्री देवश विक्रम "विभागीय अधिवक्त" मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5. कट फाईल।

अधिशासी अभियन्ता

D:\EDD KASIA\COURT CASE\C1- Distt Forum (A.K. Yadav).doc